न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

तारीख दायराः–01.10.2024

वाद संख्या :– 84/2024

1. भोलेशकंर उर्फ भोले
2. रामअवतार

पिस0 बन्नीराम जाति कंडेरा निवासी ग्राम कसौदा तहसील नगर जिला डीग।

––––वादीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।

––––––प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री हकमुदीन खान वादीगण।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांकः–27.11.2024

वादीगण द्वारा द्वारा यह वाद इस आशय का संस्थित किया है कि आराजी खसरा नं0 326/0.19, 327/0.09, 328/0.09, बाके ग्राम कसौदा तहसील नगर मे स्थित है। उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियो की सहबन गलती से बन्नीराम के स्थान पर मन्नीराम दर्ज हो गया है जबकि वादीगण के पिता का नाम बन्नीराम पुत्र घीसा है तथा समस्त दस्तावेजात मे भी वादीगण के पिता का नाम बन्नीराम दर्ज है तथा ग्राम कसौदा तहसील नगर मे बन्नीराम पुत्र घीसा एंव मन्नीराम पुत्र घीसा नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। आराजी खसरा नं0 329/0.62 बाके ग्राम कसौदा तहसील नगर की जमाबंदी मे वादीगण के पिता का नाम बन्नीराम दर्ज है। गलत इन्द्राजात की जानकारी वादीगण को नकल जमाबंदी लेने से दिनांक 23.05.2024 को हुई। गलत इन्द्राजात के चलते वादीगण सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओ व योजनाओ का लाभ नही ले पा रहे है अत दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नं0 326/0.19, 327/0.09, 328/0.09, बाके ग्राम कसौदा तहसील नगर के राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण के पिता का नाम मन्नीराम के स्थान पर बन्नीराम दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नगर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का, मौका पर्चा व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अधार पर आराजी खसरा नं0 326/0.19, 327/0.09, 328/0.09, बाके ग्राम कसौदा तहसील नगर मे दर्ज भोलेशंकर उर्फ भोले व रामअवतार पिसरान मन्नीराम के स्थान पर भोलेशंकर उर्फ भोले व रामअवतार पिसरान बन्नीराम दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा बहस मे कथन किया गया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खरीदी है तथा रजिस्ट्री मे वादीगण का नाम भोलेशंकर उर्फ भोले व रामअतार पिसरान बन्नीराम दर्ज था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण मे पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

गलत दर्ज कर दिया। अत वादीगण के पिता नाम मन्नीराम के स्थान पर बन्नीराम दर्ज किया जावे। तथा तहसीलदार द्वारा दावा स्वीकार किये जाने का कथन किया गया।

:: आदेश ::

अत दावा वादीगण तहसीलदार नगर की रिपोर्ट एव पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अधार पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 326/0.19, 327/0.09, 328/0.09, बाके ग्राम कसौदा तहसील नगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भोलेशंकर उर्फ भोले व रामअवतार पिसरान मन्नीराम के स्थान पर भोलेशंकर उर्फ भोले व रामअवतार पिसरान बन्नीराम दर्ज किया जावे।

इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

अन्तिम डिकी व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 84/2024 तारीख दायरा:–01.10.2024

1. भोलेशकंर उर्फ भोले
2. रामअवतार

पिस0 बन्नीराम जाति कंडेरा निवासी ग्राम कसौदा तहसील नगर जिला डीग।

----वादीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।

------प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री हकमुदीन खान अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई पैरोकार सरकार अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण तहसीलदार नगर की रिपोर्ट एव पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अधार पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 326/0.19, 327/0.09, 328/0.09, बाके ग्राम कसौदा तहसील नगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भोलेशंकर उर्फ भोले व रामअवतार पिसरान मन्नीराम के स्थान पर भोलेशंकर उर्फ भोले व रामअवतार पिसरान बन्नीराम दर्ज किया जावे।

डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.11.2024 को जारी की गयी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) राज0

27/11/24

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0